

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 480/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. सोहन लाल पुत्र डालुराम जाति मेघवाल निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र डालुराम जाति मेघवाल निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण कुमार पुत्र डालुराम जाति मेघवाल निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री राजेन्द्र बरोड़ वकील-वादीगण
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 18/2/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री राजेन्द्र बरोड़ वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि बरमसर के खाता संख्या नया 239 पुराना 95 के खसरा संख्या 155 की 4.5530 है 0 मे से वादीगण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज है जिसमे दर्ज वादी संख्या 1 का नाम सोहनलाल पुत्र डालूराम के स्थान पर सोहन लाल पुत्र डालुराम, वादी संख्या 2 का नाम मोहनलाल पुत्र डालूराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र डालुराम व वादी संख्या 3 कृष्णकुमार पुत्र डालूराम के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र डालुराम तथा रोही मोजा ग्राम मलकासर के खाता संख्या नया 75 पुराना 67 के खसरा संख्या 391 की 3.1360 है 0 मे से वादीगण प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज है जिसमे दर्ज वादी संख्या 1 का नाम सोहन लाल पुत्र डालू के स्थान पर सोहन लाल पुत्र डालुराम, वादी संख्या 2 का नाम मोहन पुत्र डालू के स्थान पर मोहनलाल पुत्र डालुराम व वादी संख्या 3 कृष्ण कुमार पुत्र डालू के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र डालुराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/2/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

